दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

कार्यालय : दुकान नं 2-3, सी-4, डी.डी.ए. मार्किट, प्रथम तल, लोरेन्स रोड, केशवपुरम, दिल्ली-35

चेयरमैन
जय भगवान गोयल
नेता, भा.ज.पा.
Ph : 9810047536
Email : jbgoyalbjp@gmail.com

अध्यक्ष/प्रधान
शिवकुमार गर्ग
Ph : 9212567435
Email : skg7435@gmail.com

महासचिव
सीताराम
Ph : 9312238830

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
जगदीश प्रसाद शर्मा
Ph : 9810406015

उपाध्यक्ष
लोकेश अग्रवाल (नई दिल्ली)
Ph : 9811153175

अंकुर गोयल (ईस्ट)
Ph : 9560128537

के.पी. त्यागी (नोर्थ ईस्ट)
Ph : 9810173582

रमेश गर्ग (सेन्टर)
Ph : 9211608223

प्रेम चन्द सिंघला (वेस्ट)
Ph : 9212526640

श्याम सुन्दर गोयल (नोर्थ वेस्ट)
Ph : 11170848

विनोद मलिक (साउथ वेस्ट)
Ph : 9810678574

अशोक जिन्दल (साउथ)
Ph : 9810316311

सचिव
बी.एम. गुप्ता
Ph : 9311385566

भिखारी लाल
Ph : 9278203088

कुन्ज बिहारी बंसल
Ph : 9810630303

कैशियर
प्रेम कुमार गोयल
Ph : 9213745545

2616

दिनांक : 13 जुलाई 2014

ज्ञापन

सेवा में,

आयुक्त महोदय,
खाद्य एवं सम्भरण विभाग
दिल्ली सरकार
के–ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली

विषय : सरकारी राशन डीलरों की मांगों को तत्काल पूर्ण करने के सद्रर्भ में।

महोदय,

इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपका ध्यान विभाग की नीतियों के चलते सरकारी राशन डीलरों के समक्ष उत्पन रोजी रोटी व समाजिक प्रतिष्ठा की अहम समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते है। जिसके लिए हम सभी विगत काफी समय से संघर्ष कर रहे है और सम्बंधित सभी विभागों को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके है मगर निष्कर्ष अभी तक शून्य ही रहा जिसकी वजह से सभी सरकारी गलतियों का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है यहा तक कि जनता हमें ही चोर समझ रही है।

महोदय, हम सभी दुकानदारों की निम्न लिखित समस्याएं है–

1. विगत 18 वर्षो से विभाग द्वारा हमें कोई कमीशन नहीं दिया गया जिसे तुरंत दिया जाए।

2. कश्मीर, पॉन्डीचेरी, तमिलनाडु जैसी राशन प्रणाली दिल्ली में भी लागू करते हुए सभी दुकानदारों को नौकरी पर रखते हुए वेतन दिया जाए।

या

(क) 15000रू प्रति माह दुकानदार को वेतन।

(ख) 10000रू दुकान का मासिक किराया।

(ग) 10000रू प्रति माह हेल्पर का वेतन।

(घ) 1000रू प्रति माह बिजली बिल।

(ङ) 1000रू प्रति माह स्टेशनरी खर्च।

(च) 6000रू सरकारी खजाने में महीनों पूर्व जमा करवाई जा रही राशि (बैंक ड्राफ्ट) का ब्याज।

3. विभाग द्वारा की जा रही रिश्वत खोरी व दमन कारी नीतियों पर तत्काल रोक लगे।

4. विभाग परिवहन व्यवस्था पर तुरंत सुधार करें जिसमें ड्राफट लगाने के 72 घंटों के अंदर माल पहुचाने के प्रावधान है।

5. आयुक्त द्वारा जून माह मे दुकान दारो को एफ.पी.एस द्वारा स्वयं माल लाने के लिए निर्देष दिए गए थे जिसमें माल भाड़े का भुगतान विभाग ने करना था जो 100रू प्रति क्विंटल खर्च हुआ था और दुकानदारो ने ही वह राशि भरी थी जिसका भुगतान तत्काल हो।

6. दुकानदार सम्बंधी फैसले के लिए दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के पदाधिकारीगणों की भी सहमति ली जाए।

Branch of Commissioner (F&S) ... 14 JUL 2014 ... NCT of Delhi

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

कार्यालय : दुकान नं 2-3, सी 4, डी.डी.ए. मार्किट, प्रथम तल, लोरेन्स रोड, केशवपुरम, दिल्ली-35

चेयरमैन
जय भगवान गोयल
नेता, भा.ज.पा.
Ph : 9810047536
Email : jbgoyalbjp@gmail.com

अध्यक्ष/प्रधान
शिवकुमार गर्ग
Ph : 9212567435
Email : skg7435@gmail.com

महासचिव
सीताराम
Ph : 9312238830

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
जगदीश प्रसाद शर्मा
Ph : 9810406015

यक्ष
लोकेश अग्रवाल (नई दिल्ली)
Ph : 9811153175

अंकुर गोयल (ईस्ट)
Ph : 9560128537

के.पी. त्यागी (नोर्थ ईस्ट)
Ph : 9810173582

रमेश गर्ग (सेन्टर)
Ph : 9211608223

प्रेम चन्द सिंघला (वेस्ट)
Ph : 9212526640

श्याम सुन्दर गोयल (नोर्थ वेस्ट)
311170848

विनोद मलिक (साउथ वेस्ट)
Ph : 9810678574

अशोक जिन्दल (साउथ)
Ph : 9810316311

सचिव
बी.एम. गुप्ता
Ph : 9311385566

भिखारी लाल
Ph : 9278203088

कुन्ज बिहारी बंसल
Ph : 9810630303

कैशियर
प्रेम कुमार गोयल
Ph : 9213745545

7. दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के सदस्यों को के–ब्लाक विकास भवन में कार्यालय के लिए एक कमरा आरक्षित किया जाए।

8. एफ.सी.आई गोदामों का निरीक्षण दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के सदस्यों को साथ लेकर किया जाए ताकि माल की गुणवत्ता उपभोक्ता को सही मिल सके।

9. राशन दुकानों का नवीनीकरण पाँच वर्ष में हो तथा उसके लिए निर्धारित प्रकिया 10000रू फीस लिए जाने का प्रावधान खतम किया जाए।

10. वर्ष 2007 में सरकार द्वारा गठित जस्टिस डी.पी बधवा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राशन दुकानदारों को ईमानदारी से दुकान चलाने के लिए प्रति माह 15000रू घर से देने पड़ रहे है उसके बाद भी सरकार द्वारा दुकानदारों के उत्थान के लिए कोई सार्थक पहल नहीं की गई।

11. दिल्ली उच न्यायालय ने 12 मार्च 2014 को एक आदेश जारी कर दुकानदारों को तीन सप्ताह में कमीशन देने का आदेश दिया था, जो अभी तक नहीं दी गई यह अदालत के आदेशों की अवहेलना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपभोक्ताओं एवं राशन दुकानदारों के हितो को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त समस्याओं का अविलम्ब समाधान निकाला जाए। अन्यथा हम सभी अनिश्चित कालीन हड़ताल करने को विवश होगे जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।

सधन्यवाद।

भवदीय

जगदीश प्रसाद शर्मा
कार्यकारी अध्यक्ष

जय भगवान गोयल
चेयरमैन
एवं नेता, भाजपा

प्रतिलिपि

1. श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार
2. श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री भारत सरकार
3. श्री राम विलास पासवान जी, केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री, भारत सरकार
4. श्री नजीब जंग जी, उपराज्यपाल दिल्ली